



Why Foster Care is a viable option for older children residing in CCIs?

- 01➤ Foster care provides the love and care of a family to children who are generally deprived due to various reasons.
- 02➤ It provides a nurturing environment with safety, security, development and well-being of children.
- 03➤ It provides a safe place for a child to live until it is possible to reunite him/her with their biological parents or the child finds a family through adoption.



Who can Foster a child?

- **Persons who are...**
Single, unmarried, widowed, divorced, or legally separated individuals
- **Married Couples**
Indian citizens, with both spouses consenting and willing to foster the same child. A stable marital relationship of at least 2 years is mandatory.
- **Single Prospective Foster Parents (PFPs)**
Single female can foster a child of any gender while single male cannot foster girl child.
- **Based on status in CARINGS**
Prospective Adoptive Parents registered on CARINGS are not eligible to foster any child.
- **Fit and Capacitated Individuals**
The Prospective Foster Parents must be physically, emotionally, mentally and financially capable.

A checklist for a child given in FOSTER CARE

- The child should be treated empathetically as own biological child and family bonding must be ensured.
- The child should not be subjected to any form of physical, emotional, sexual abuse or neglect in the foster home.
- The child must be attending regular school except for special circumstances such as major disability or illness.
- There shall not be any misappropriation or misuse of financial support received in the name of child.
- In any circumstances, the child should not be engaged in labour which is contradictory to laws.
- The child's meetings with his/her biological family should be facilitated wholeheartedly.

Procedure for Fostering a Child

A-FOSTER CARE ➤

- Self-registration by Prospective Foster Parents (PFPs) on the portal.
- Parent/ Child related documents to be uploaded by DCPU.
- All requisite documents in respect of the child and the PFP will be placed before CWC.
- The DCPU, where the child resides, will match the child with PFPs with the approval of the concerned CWC.
- Order of foster care placement by CWC, as per Form 32
- Undertaking by the foster family: Form 33
- DCPU to upload all the documents on the portal

B-Foster ADOPTION ➤

- DCPU to recommend the proposal to SARA.
- SARA to recommend the proposal to CARA.
- CARA to issue pre-approval letter and send the proposal back to SARA.
- SARA to forward the proposal to DCPU.
- DCPU to file an adoption application in the office of DM for procuring Adoption order.
- Issuance of Adoption Order.
- DCPU concerned to facilitate the issuance of birth certificate of child.
- Post-adoption follow-up report by concerned DCPU.

DCPU – District Child Protection Unit
SARA – State Adoption Resource Agency
CARA – Central Adoption Resource Authority
DM – District Magistrate

UNDERSTANDING

Foster Care and Adoption ➤

Foster Care: Short term, or long term Family-based care of children in need of care and protection (CNCP); as provisioned in Juvenile Justice Act, 2015 (as amended in 2021).

- **Eligibility of children:** Children in the age group of 6-18 years are eligible for Foster care.
- **Eligibility of parents:** Indian citizens residing in India, who wish to foster a child can register themselves online on CARINGS Portal (carings.wcd.gov.in). For more information, read Model Foster Care Guidelines, 2024 (on CARA website).

Foster Adoption: Foster care can be converted into adoption provided:

- The child has successfully completed two years in foster care with the same family.
- The child is legally free for adoption.
- Both the child and the parents have given consent for adoption.
- The compliance as per JJ Act, JJ Rules and Foster Care Guidelines are fulfilled.

CARA framed the Adoption Regulations, 2022 as mandated under Section 68(c) of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (Amended in 2021) which has been operational from 23rd September, 2022.

Under section 32 of JJ Act, it is mandatory to report regarding a child found separated from guardian or parents to the Child Helpline (1098) or the nearest police station or Child Welfare Committee or District Child Protection Unit, or hand over the child to a registered child care institution, else, it shall be regarded as an offence under Section 33 and 34 of the Act.

Registration for Adoption on:
<https://carings.wcd.gov.in/>
Website: <https://cara.wcd.gov.in/>

CARA Helpline No: 1800-11-1311
8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri) except Gazetted Holidays
CARA Helpdesk e-mail:
carahdesk.wcd@nic.in



CARA

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child

Foster a child, build Family

Rehabilitation of older children through Foster care and Adoption

Family-based Care for children

- A child separated from their parent or guardian often requires immediate family-based care.
- A child care institution may be well-equipped to provide food and shelter to the child, but rehabilitation goals are more suited in a familial environment.
- Familial environment is crucial to secure for the child their basic rights, needs and best interests.
- The ambit of best interests extends to – identity, social well-being, and physical, emotional and intellectual development.



फॉस्टर केयर और फॉस्टर दत्तक-ग्रहण – एक नज़र में

फॉस्टर केयर: >

देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अल्पकालीन या दीर्घकालीन देखरेख के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के अनुसार फॉस्टर केयर में दिया जाएगा।

योग्यता

- ❖ **बच्चों के लिए:** 6-18 वर्ष की आयु के बच्चे फॉस्टर केयर के लिए पारिवारिक देखरेख में जा सकते हैं।
- ❖ **माता-पिता के लिए:** जो भी भारतीय नागरिक किसी बच्चे को फॉस्टर करना चाहते हैं उन्हें CARINGS पोर्टल (carings.wcd.gov.in) पर अपना पंजीकरण करना होगा। अधिक जानकारी के लिए मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइंस, 2024 देखें।

फॉस्टर दत्तक-ग्रहण: कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करने पर फॉस्टर केयर को फॉस्टर दत्तक-ग्रहण में परिवर्तित किया जा सकता है-

- ❖ बच्चे ने उसी परिवार के फॉस्टर केयर में 2 वर्ष पूरे कर लिए हों।
- ❖ बच्चा विधिक रूप से विमुक्त (LFA) घोषित किया जा चुका हो।
- ❖ बच्चे और फॉस्टर माता-पिता, दत्तक-ग्रहण के लिए दोनों की सहमति हो।
- ❖ किशोर न्याय अधिनियम, नियम और मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइंस के सभी नियम का अनुपालन हो गया हो।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 68(ग) के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, CARA ने दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 को तैयार किया, जो 23 सितंबर, 2022 से लागू है।

किशोर न्याय अधिनियम (2021 में संशोधित) की धारा 32 (1) के अनुसार, अभिभावक से बिछड़ गया बच्चा यदि मिलता है तो उसकी सूचना बाल सहायता सेवा या किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन या बाल कल्याण समिति (CWC) या जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को देनी चाहिए या उस बच्चे को पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान को सौंप देना अनिवार्य है, अन्यथा इसे अधिनियम की धारा 33 तथा 34 के अनुसार एक अपराध माना जाएगा।

गोद लेने के लिए पंजीकरण:

<https://carings.wcd.gov.in/>

वेबसाइट: <https://cara.wcd.gov.in/>

CARA हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-1311

8:00 AM to 8:00 PM (सोम-शुक्र) राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर

CARA सहायता डेस्क ई-मेल:

carahdesk.wcd@nic.in



हर बच्चे
के लिए एक
प्यारा
परिवार



CARA

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Women & Child

फॉस्टर केयर और दत्तक-ग्रहण के जरिए बड़े बच्चों का पुनर्वास

बच्चों के लिए पारिवारिक देखरेख का प्रावधान

- ❖ माता-पिता या संरक्षक द्वारा छोड़े जाने पर किसी भी बच्चे को तत्काल पारिवारिक देखरेख की आवश्यकता हो सकती है।
- ❖ कोई भी 'बाल देखरेख संस्था' (CCI) बच्चे को आश्रय प्रदान करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन उसका सही मायने में पालन-पोषण और पुनर्वास पारिवारिक माहौल में ही संभव है।
- ❖ बच्चे के मूल अधिकारों, आवश्यकताओं और सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए पारिवारिक माहौल की ही आवश्यकता होती है।
- ❖ सर्वोत्तम हितों का पर्याय बच्चे की व्यक्तिगत पहचान एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक उत्थान से है।



फॉस्टर देखभाल कौन-कौन कर सकता है?

- **वैवाहिक स्तर पर**
 - अविवाहित, विवाहित, विदुर/विधवा, तलाक़शुदा या फिर कानूनी रूप से अलग हुए व्यक्ति।
- **वैवाहिक दंपति**
 - सभी भारतीय नागरिक, जहाँ पर पति-पत्नी दोनों की उसी बच्चे को फॉस्टर करने की सहमति हो, और साथ में कम-से-कम 2 वर्ष का वैवाहिक संबंध स्थायी व सुखमय हो।
- **एकल भावी फॉस्टर माता-पिता**
 - अविवाहित महिलाएं किसी भी लिंग के बच्चे को फॉस्टर कर सकती हैं जबकि अविवाहित पुरुष केवल बालकों को ही फॉस्टर कर सकते हैं, बालिकाओं को नहीं।
- **CARINGS पोर्टल के अनुसार**
 - CARINGS पर पंजीकृत भावी दत्तक माता-पिता किसी बच्चे को फॉस्टर नहीं कर सकते।
- **स्वस्थ एवं सक्षम व्यक्ति**
 - भावी फॉस्टर माता-पिता शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और वित्तीय रूप से सक्षम होने चाहिए।

बड़ी उम्र के बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख के बजाए कैसे बेहतर है फॉस्टर देखरेख का विकल्प?

- 01➤ आमतौर पर अभावग्रस्त जीवन जी रहे बच्चों को फॉस्टर केयर की मदद से परिवार का प्यार और उनकी देखरेख मिल जाती है।
- 02➤ फॉस्टर केयर से बच्चों को बेहतर माहौल मिलता है जिसमें हर प्रकार की सुरक्षा, प्रगति और कल्याण निहित होते हैं।
- 03➤ इससे बच्चों को ऐसा स्थान मिलता है जहाँ वे तब तक रह सकते हैं जब तक उन्हें उनके जैविक माता-पिता पुनः नहीं मिलते, या फिर उनका दत्तक-ग्रहण नहीं हो जाता।

फॉस्टर केयर में गए बच्चे के लिए सावधानियों का अनुपालन

- फॉस्टर किए गए बच्चे को अपनत्व के साथ पाला जाना चाहिए ताकि पारिवारिक संबंध सुदृढ़ हों।
- फॉस्टर परिवार में बच्चा किसी भी प्रकार के शारीरिक, भावनात्मक, यौन शोषण या फिर उपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए।
- किसी बड़ी अक्षमता या बीमारी के अलावा हर परिस्थिति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चा प्रतिदिन स्कूल जा रहा हो।
- बच्चे के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता का गलत उपयोग न हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बच्चे से मज़दूरी न करवाई जाए।
- बच्चे के जैविक माता-पिता से मुलाक़ात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

फॉस्टर केयर और दत्तक-ग्रहण की नियमावली

(क) फॉस्टर केयर ➤

- पोर्टल पर फॉस्टर माता-पिता के द्वारा स्व-पंजीकरण किया जाएगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) माता-पिता/बच्चे से संबंधित दस्तावेज अपलोड करेगी।
- बच्चे और भावी फॉस्टर माता-पिता के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष रखे जाएंगे।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), बच्चे के निवास के अनुसार संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC) की मंजूरी से बच्चे का भावी फॉस्टर माता-पिता से मिलान करेगी।
- बाल कल्याण समिति (CWC) फॉस्टर केयर का आदेश, फॉर्म 32 के अनुसार जारी करेगी।
- फॉस्टर परिवार द्वारा वचनबंध (Undertaking) पर हस्ताक्षर: फॉर्म 33 के अनुसार किया जाएगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(ख) फॉस्टर दत्तक-ग्रहण ➤

- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) दत्तक-ग्रहण के प्रस्ताव की अनुशंसा राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) से करेगी।
- राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) अनुशंसा करते हुए इस प्रस्ताव को केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को अनुमोदन के लिए भेजेगा।
- केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी कर प्रस्ताव को वापस राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) को भेजेगा।
- राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) प्रस्ताव को जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के पास भेजेगा।
- संबंधित जिलाधिकारी (DM) के कार्यालय से दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) एक आवेदन पत्र दाखिल करेगी।
- जिलाधिकारी (DM) द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश जारी किया जाएगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।
- दत्तक-ग्रहण के उपरांत जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कार्य रिपोर्ट जारी करेगी।